संख्या: 03/2020/बी-1-182/दस-2020-146/2004

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-2021 में माह मार्च, 2020 के वेतन का भुगतान ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट की समस्त अनुदानों की मांगें विधान मण्डल द्वारा पारित हो चुकी हैं तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा सचिवालय के समस्त अनुभागों, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्क्षों को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट के लिये वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने हेतु दिशा-निर्देश दिये जा चुके हैं ।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बजट आवंटन की प्रत्याशा में, राज्य कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों / सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों / विश्वविद्यालयों / चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के माह मार्च, 2020 के वेतन का भुगतान माह अप्रैल, 2020 में सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in